

अपीलांत:-

बनाम

रेस्पोंडेंट :-



श्री किशोर कुमार पुत्र ताराराम घांची
निवासी 74, टिम्बर मार्केट, समुरपेर, जिला
पाली

लोक सूचना अधिकारी (जिला रसद अधिकारी)
पाली

किस्म मुकदमा RTI APPEAL-- 76 /2019

R.C.M.S. No. --2019/00

अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम-2005

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
8/17/2019 24/7/19	<p>अपीलांत ने यह अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि कार्यालय लोक सूचना अधिकारी (जिला रसद अधिकारी) पाली ने उनके द्वारा चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं करवाए जाने से अपील न्यायालय में पेश की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर हो। रेस्पोंडेंट अपना पक्ष रखने हेतु तलब होकर एवं सूचना अपीलाण्ट को दी जाकर पत्रावली दिनांक 24/7/19 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"> जिला कलेक्टर, पाली</p> <p>अपीलांत द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत पेश कर निवेदन किया कि लोक सूचना अधिकारी (DS 0) पाली को कोचित सूचना उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया जाये। एवं सूचना दिनांक 24/7/19 को पेश हो।</p> <p>इस सम्बन्ध में जिला कलेक्टर द्वारा अग्रिम पत्रांक 928-29 दि. 10-7-19 के तिरका जमा पर लोक सूचना अधिकारी (DS 0) पाली ने उनके पत्रांक 276 दि. 10-6-2019 के द्वारा जवाब देकर कि अपीलाण्ट को सूचना उपलब्ध कराने के लिए निर्देशित की जा चुकी है। अपील निरस्त करायें।</p> <p>लोक सूचना अधिकारी DS 0 पाली द्वारा अपीलाण्ट को सूचना उपलब्ध करा दी जाये। इस अपील के संदर्भ में किसी प्रकार की कार्यवाही कोचिंत नहीं रह जाती, लिहाजा अपील अपीलाण्ट वरिष्ठ की जाती है।</p> <p>पत्रावली इस सम्बन्ध में जिला कलेक्टर की जाकर नम्बर से कम है।</p> <p style="text-align: right;"> जिला कलेक्टर, पाली</p>	<p>928-29 10.7.19</p>